रा.आ.बैंक (नदि)/जीएस/कोट/   /2019
12 मार्च, 2019

<< अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक >>

महोदया/महोदय,

सरकारी सब्सिडी योजनाओं हेतु ब्याज सहित बैंक खाता खोलने के लिए कोटेशन

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से विभिन्न सब्सिडी योजनाओं (यानी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, एमआईजी आदि हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण आधारित सब्सिडी योजना) के कार्यान्वयन के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है। वर्तमान में, रा.आ.बैंक द्वारा संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत निधि के अनुरक्षण के लिए सात ब्याज-सहित बैंक खाते संचालित किए गये हैं।

2. रा.आ.बैंक संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत उपरोक्त बैंक खातों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विशेषत: लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में रा.आ.बैंक मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र) से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। बोली लगाने वाले बैंक की सीबीएस प्रणाली भारत सरकार के पीएफएमएस प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए। विभिन्न सुविधाओं के अलावा, बोली लगाने वाले बैंक को शीघ्र सेवा, समर्पित सेवा कार्यपालक/डेस्क, 'शून्य' खाता अनुरक्षण शुल्क, खाते का नि: शुल्क मासिक विवरण (मूल), ऑन-लाइन सुविधाएं, 'शून्य' आरटीजीएस/एनईएफटी/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शुल्क आदि प्रदान करना होगा। इच्छुक बैंक निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार अपना कोटेशन प्रस्तुत कर सकता है:

खाते का प्रकार	दैनिक शेष पर प्रति वर्ष ब्याज दर % (दैनिक शेष और दैनिक औसत शेष नहीं)
बचत	
बचत आधारित फ्लेक्सी जमा	

रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ओं द्वारा हस्ताक्षरित कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में बंद हो, उस पर **"सरकारी सब्सिडी योजनाओं हेतु ब्याज सहित बैंक खाता खोलने के लिए कोटेशन"** लिख कर दिनांक 22 मार्च, 2019 को सांय 4:00 बजे से पहले रा.आ.बैंक मुख्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें**:**

महाप्रबंधक
सरकारी योजनाएं
राष्ट्रीय आवास बैंक
मुख्यालय
चौथी मंजिल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
सरकारी योजनाएं